

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 759, 760 व 761 / 2013 / बांसवाडा

मैसर्स ज्ञायक मार्केटिंग इण्डस्ट्रीज,  
ठिकरिया, बांसवाडा।

.....अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत–बांसवाडा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री सुनील शर्मा–सदस्य  
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,  
अधिकृत अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06 / 01 / 2016

निर्णय

ये अपीले अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के क्रमशः अपील संख्या 27, 28 व 29 / वेट / 12–13 में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 28.01.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 सपष्टित राज.विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी चाय के क्य/विक्रय का व्यवसाय करता है। अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र ‘सी’ के समर्थन से अन्तर्राज्यीय खरीद की जाकर चाय को आयात किया जाकर राज्य के अन्दर खरीदी गई करदत्त चाय के साथ सम्मिश्रण (Blending) करते हुए सम्मिश्रित (Blending) चाय को राज्य के बाहर विक्रय हेतु (SOS) प्रेषित किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बांसवाडा (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) ने अपीलार्थी की उक्त आयातित चाय को, राज्य में खरीदी गई करदत्त चाय के साथ सम्मिश्रित करके राज्य के बाहर विक्रय हेतु (SOS) प्रेषित किये जाने से उक्त खरीद पर क्य कर एवं ब्याज आरोपित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधियों के लिये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.06.2012 को पारित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 28.01.2013 द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करते हुए, आरोपित कर एवं ब्याज की राशियों को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्तादेश दिनांक 28.01.2013 से व्यक्ति तरह, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	योग
759/2013	2006–07	1,64,685/-	1,13,633/-	2,78,318/-
760/2013	2007–08	64,941/-	38,315/-	1,03,256/-
761/2013	2008–09	74,932/-	36,717/-	1,11,649/-

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी ने 'सी' फार्म के समर्थन से राज्य के बाहर से अन्तरप्रान्तीय खरीदी गई चाय का सम्मिश्रण (Blending) कर चाय राज्य के बाहर (SOS) विक्रय की गई हैं एवं इसके समर्थन में एफ फार्म प्राप्त किया जाकर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फार्म के आधार पर चाय आयात की जाकर सम्मिश्रण (Blending) में उपयोग कर एस.ओ.एस. की गई है एवं विवादित चाय की खरीद राज्य के अन्दर नहीं की गई है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाय की खरीद पर क्य कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आयुक्त वाणिज्यिक कर बनाम बखावर लाल कैलाश चन्द्र आढती के न्यायिक दृश्टांत (1992) 87 एस.टी.सी. 196 एवं आसाम राज्य बनाम रमेशचन्द्र के न्यायिक दृश्टांत (1961) 12 एस.टी.सी. 441 को उद्धरित किया गया।

विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आकर्षण फूड स्टैफ प्रा० लि० के न्यायिक दृश्टांत (2005) 13 टैक्स अपडेट 319 से संबंधित प्रकरण के तथ्य अपीलार्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न होने के बावजूद उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा (sos) की गई चाय की अन्तरप्रान्तीय खरीद पर अधिनियम के तहत क्य कर आरोपित किया जाना पूर्णतया: विधि विरुद्ध एवं अनुचित है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच अवधियों के लिये पारित कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित चाय को करदत्त चाय के साथ सम्मिश्रण (Blending) की जाकर इसका राज्य के बाहर (sos) विक्रय करने पर उक्त आयातित चाय पर अधिनियम के तहत क्य कर आरोपित किया गया था, परन्तु अपीलीय अधिकारी के संयुक्तादेश दिनांक 28.01.2013 द्वारा विवादित चाय की राज्य के अन्दर कोई खरीद नहीं होने से आरोपित क्य कर अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच अवधियों में आयातित एवं सम्मिश्रित (Blending) कर राज्य के बाहर एस.ओ.एस. की गई चाय पर आरोपित किया गया क्य कर अविधिक होने से अपास्त योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 2232/2006/बांसवाड़ा मै० ज्ञायक मार्केटिंग बांसवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 26.07.2012 पेश करते हुए, अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उद्विरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया गया।

रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फार्म के आधार पर अन्तरप्रान्तीय खरीद करते हुए, राज्य के बाहर से आयातित चाय को राज्य के अन्दर खरीदी गई करदत्त चाय के साथ समिश्रित (Blending) किया जाकर इस समिश्रित चाय को राज्य के बाहर विक्रय (SOS) हेतु प्रेषित किया गया है तथा अपीलार्थी व्यवहारी की राज्य के बाहर विक्रय की गई समिश्रित (Blending) चाय में राज्य के बाहर से आयातित चाय का उपयोग किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आकर्षण फूड स्टॉफ प्रा० लि० (13 टैक्स अपडेट 319) के मामले में दिये गये निर्णय के आलोक में व्यवहारी की आलौच्य अवधियों की इस चाय की अन्तरप्रान्तीय खरीद पर क्य कर एवं ब्याज आरोपित किया गया।

इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक F.4(30)FD/Tax Div/2002-179 Dated 22-03-2002 उल्लेखनीय है, जो निम्न प्रकार है:-

S.O.426-In exercise of the powers conferred by S.2(27), RST Act, 1994, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so / so to do, hereby notifies that the process of blending of tea shall not be treated as manufacturing activity for the purposes of this Act.

अतः उक्त अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया है कि चाय को समिश्रण (Blanding) करने की प्रक्रिया को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निर्माण कार्य (Manufacturing Process) नहीं माना जायेगा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आकर्षण फूड स्टॉफ प्रा० लि० (13 टैक्स अपडेट 319) के प्रकरण में पारित किये गये निर्णय का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय से संबंधित प्रकरण में राज्य के बाहर के माल मालिक मैसर्स मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लि० देहली (Principal) के द्वारा राजस्थान राज्य के कमीशन एजेन्ट के पास विक्रय हेतु माल (घी) प्रेषित किया गया कमीशन एजेन्ट द्वारा इस माल (घी) में से घी की स्थानीय बिक्री देय कर अदा करते हुए की गई एवं शेष माल को स्वयं के कर योग्य खाते में हस्तान्तरित करते हुए इसमें से रु 52,69,765 का घी कन्साइन्मेंट बेसिस पर राज्य के बाहर विक्रय (SOS) करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य के कमीशन एजेन्ट द्वारा इस माल की माल मालिक से राज्य के अन्दर की खरीद मानते हुए एवं इस पर अधिनियम की धारा 4 व 12 के अन्तर्गत किसी प्रकार का कर लगा हुआ नहीं होने से अधिनियम की धारा 11 के तहत क्य कर आरोपित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त अभिनिर्णय में राज्य के कमीशन एजेन्ट द्वारा माल मालिक से प्राप्त उक्त माल अपने

स्वयं के कर योग्य खाते में हस्तान्तरित करते हुए की गई खरीद को राज्य के अन्दर की खरीद मानते हुए इस पर आरोपित किये गये क्य कर को विधिसम्मत माना है।

हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फार्म के आधार पर अन्तरप्रान्तीय खरीद की गई विवादित चाय को स्थानीय कर चुकी चाय के साथ सम्मिश्रित (Blending) की जाकर राज्य के बाहर विक्रय हेतु (SOS) प्रेषित की गई है। इसके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा विधिवत 'एफ' फार्म प्रेषित किये गये, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार मैसर्स आकर्षण फुड स्टफ प्रा० लि० के प्रकरण एवं अपीलार्थी के प्रकरणों के तथ्यों में समानता नहीं है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्वरित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरणों के लिए सुसंगत (Relavant) नहीं है।

यहां पर राजस्थान बिकी कर अधिनियम, 1994 की धारा 11(1) का अध्ययन किया जाना भी समीचीन है जो इस प्रकार है :—

**Section 11. Levy of purchase tax.**— (1) Every dealer who in the course of his business purchases any Goods other than exempted goods, in the circumstances in which no tax under sections 4 and 12 is payable on the sale price of such goods, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12.

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यवहारी अपने कारोबार के दौरान कर सें छुट प्राप्त माल के अतिरिक्त कोई भी माल ऐसी स्थिति में क्य करता है जिससे उसके माल के विक्रय पर अधिनियम की धारा 4 एवं 12 के अधीन किसी प्रकार का कोई कर संदेय नहीं होता हो तो व्यवहारी द्वारा की गई ऐसी खरीद पर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत क्य कर का दायित्व बनता है। अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के दौरान राज्य के बाहर से क्य किये गये माल पर उपर्युक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह अधिनियम राज्य के अन्दर की गई माल की खरीद पर ही क्य कर आरोपित करने का उपबन्ध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 286(2) के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्वरित न्यायिक दृष्टान्त 12 एस.टी.सी. 441 एवं 87 एस.टी.सी. 196 में ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

अतः अधिनियम की धारा 11 के विधिक प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्वरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य के अन्दर की गई खरीद पर ही अधिनियम की धारा 11(1) के तहत क्य कर आरोपित किया जा सकता है, परन्तु अन्तरप्रान्तीय खरीद, जो कि राज्य के बाहर से की गई है, पर क्य कर आरोपित नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर से कोई खरीद नहीं कर राजस्थान के बाहर से 'सी' फार्म के समर्थन से चाय की अन्तरप्रान्तीय खरीद की जाकर राज्य के बाहर विक्रय (SOS) किया गया है। विवादित चाय की इस अन्तरप्रान्तीय खरीद पर अधिनियम की धारा 11(1) के तहत क्य कर आरोपित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

व्यवहारी के आलौच्य अवधियों की अन्तरप्रान्तीय खरीद पर आरोपित किया गया क्य कर एवं ब्याज अपास्त होने योग्य है। अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2232/2006/बांसवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2012 से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार होने योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी दोनों अवर अधिकारियों के अविधिक आदेशों को अपास्त करते हुए, आरोपित क्य कर एवं ब्याज को अपास्त किया जाता है।


परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के संयुक्तादेश दिनांक 28.01.2013 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
6-1-2016

(इश्वरी लाल कुमार)

सदस्य

  
2  
(सुनील शर्मा )

सदस्य